प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2022**.......
प्र0इ0रि0 सं. ....39/**2022**.............................दिनांक.......9/2/2022..........

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण**(संशोधन)अधि. 2018**.......... धाराये..........**7, 7ए**
(II) * अधिनियम ....**भा. दं. सं.**................धारायें ....120 बी.....................
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....175.......... समय ....7:00 PM.
(ब) * अपराध घटने का वार.....**सोमवार**....दिनांकः–07.02.2022 समय 11:00 ए.**एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **28.01.2022**

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक–**लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री **अरूण सिंह चौधरी** ....
(ब) पिता / पति का नाम **श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी**.........
(स) जन्म तिथी / वर्ष वर्ष......................37 साल ....
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....

(ल)पता –निवासी प्लाट नम्बर बी–51, शंकर विहार, सवाई गैटोर, जयपुर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्रीमती ममता यादव पत्नी श्री कृष्ण कुमार यादव उम्र 39 साल, निवासी शिक्षक कोलोनी, तक्षशिला स्कूल के पास, पुलिस थाना बहरोड जिला अलवर हाल फ्लैट नम्बर 109, पम्पोस अपार्टमेन्ट, जगतपुरा नियर जवाहर सर्किल, जयपुर हाल उपायुक्त जोन 4, जेडीए जयपुर।

2– श्री अखिलेश मौर्य पुत्र श्री काशीनाथ मौर्य, उम्र 32 साल निवासी प्लाट नम्बर 11, सुदामापुरी पंचवटी कोलोनी खातीपुरा रोड पुलिस थाना सोडाला, जयपुर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी), कार्यालय उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर।

3– श्री रामतोफान मुण्डोतिया पुत्र श्री प्रभातराम मुण्डोतिया उम्र 54 साल निवासी ए/72, श्याम मित्र मण्डल नगर रोड नम्बर 05, वीकेआई, जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय जेडीए जोन–5, जयपुर

4– श्री विजय मीणा पुत्र स्व0 श्री देव कुमार मीणा उम्र 29 साल निवासी प्लाट नम्बर 07, शिव कोलोनी, प्रेम नगर, आगरा रोड, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर

5– श्री श्याम कुमार मालू पुत्र श्री बाबूलाल मालू पुत्र श्री 37 साल निवासी चोकुटी, गजनेर रोड, बीकानेर हाल मकान नम्बर ए–17, अमर नगर खातीपुरा जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, जेडीए जोन–04, जयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...

.

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).

क–आरोपीगण के कब्जे से बरामद रिश्वती राशि 1,00,000/– रूपये (फिनॉफ्थलीन पाउडर युक्त) तथा 10,000/– रूपये (बिना फिनॉफ्थलीन पाउडर के)

ख– परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि, जिसमें 1,20,000/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा तथा 80,000/– रूपये डमी मुद्रा कुल 2,00,000/– रूपये (फिनॉफ्थलीन पाउडर युक्त) तथा 15,000/– रूपये (बिना फिनॉफ्थलीन पाउडर के)

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 3,10,000/–रूपये**

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 28.01.2022 को परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी उम्र 37 साल निवासी प्लाट नम्बर बी–51, शंकर विहार, सवाई गैटोर, जयपुर ने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि जेडीए जोन 4 के सिद्धार्थ नगर में मेरा प्लाट नं सी–553 है। जिसका मुझे जेडीए जोन–4 में मेने पट्टे के लिये आवेदन किया है। पूर्व में हमारी योजना में कोर्ट का स्टे था जो कि पिछले कुछ दिनो पूर्व हट गया था। स्टे हटने के बाद हमारी कॉलोनी के बहुत लोगों ने जेडीए जोन–4 में पैसे देकर (रिश्वत) पट्टा ले लिया है। मेरे साथ कॉलोनी के अन्य लोग भी पट्टा लोने के लिये जोन उपायुक्त श्रीमती ममता यादव के पास गये तो उन्होने पट्टा नही दे कर अपने दलालो के माध्यम से रिश्वत की मांग कर रही है। इनके दलाल जेईएन मालूराम, विजय रीडर अन्य कई लोग है जिनके नाम नही जानते, उनके माध्यम से रिश्वत मांग रहे है। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि आरोपिया मेरे से पट्टे जारी करने के ऐवज में पांच से छ लाख रूपये मांग रही है। मै उनको किसी भी प्रकार की रिश्वत नही देना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है तथा न ही उनसे कोई मेरा लेन–देन बकाया है। मैं उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। उक्त आशय की रिपोर्ट पेश करने पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पृष्ठांकित करने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी से मजीद दरियाफ्त की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया गया, जिसका ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन आज ही करवाया जाना आवश्यक है।